राइजिंग इन्दौर

सच का सारथी

इंदौर, बुधवार, 1 अप्रैल 2026

वर्ष -13, अंक-13, पेज- 8, मूल्य 2 रूपए

जुड़िए हमसे... @risingindore.news www.risingindore.com और +91-731-4032200 पर

Inside

page 06

ida बजट में नया कुछ नहीं...

पहली बार नेताओं की अनुशंसा पर काम करने के लिए दरवाजे खोले

राइजिंग इन्दौर

■ रिपोर्टर

इंदौर विकास प्राधिकरण का नए वित्त वर्ष का बजट बुधवार को प्रस्तुत कर मंजूर कर दिया गया। इस बजट में शहर को कोई नई बड़ी सौगात नहीं मिली है। पहली बार प्राधिकरण के द्वारा अपने बजट के दरवाजे नेताओं की अनुशंसा पर कार्य करने के लिए खोल दिए गए हैं। अब प्राधिकरण जमकर नेताओं के अनुशंसा के आधार पर काम करेगा।

प्राधिकरण के संचालक मंडल की बजट की बैठक में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में बेणेश्वर कुंड पर विकास कार्य करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसे बेणेश्वर धाम फेस वन के रूप में रखा गया है इसके लिए बुलाए गए टेंडर को मंजूरी दी गई जिसके अंतर्गत यहां पर कार्य करने पर 7.89 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। किसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र में क्रमांक 4 अंतर्गत आने वाले दशहरा मैदान पर स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के निर्माण कार्य हेतु कंसल्टेंट के चयन के कार्य को पूरा कर लिया गया। इसके लिए प्राधिकरण में विभिन्न श्रेणियां में इन पैनल्ड किए गए आर्किटेक्ट कंसलटेंट में से मैसर्स मेहता एंड एसोसिएट्स का चयन कर लिया गया। यह स्पोर्ट्स काम्पलेक्स प्राधिकरण के द्वारा 35 करोड़ रुपए की राशि खर्च करते हुए बनाया जाएगा। इस कार्य के लिए क्षेत्र की विधायक मालिनी गौड के द्वारा अनुशंसा की गई थी।

इन्दौर विकास प्राधिकरण संचालक मंडल की बैठक डॉ. सुदाम खाड़े, संभागायुक्त सह अध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में शिवम वर्मा कलेक्टर, क्षितिज सिंघल आयुक्त, नगर पालिक निगम, सी.एस. खरत, मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग इन्दौर, शुभाशीष बेनर्जी संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, सुनील कुमार उदिया अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, राजेश चन्द्र जैन मुख्य अभियंता, बिजली कंपनी, डॉ. लाल सुधाकर सिंह सहायक वनसंरक्षक (प्रतिनिधि) एवं डॉ. परिक्षित झाड़े, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी (सदस्य सचिव) उपस्थित थे।

संचालक मंडल द्वारा प्राधिकारी का वित्तीय वर्ष 2025-26 का पुनरीक्षित बजट एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट की स्वीकृति प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि बजट में अनुपातिक प्रावधान रखे गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से निर्माणाधीन फ्लाय ओव्हर, मास्टर प्लान की सड़कें, टी.पी.एस. का विकास कार्य एवं विभिन्न विभागों द्वारा कराये जा रहे अमानती कार्य सम्मिलित है। बजट में जन निजी भागीदारी की योजनाएं जैसे कन्वेंशन सेन्टर, स्टार्ट-अप सेन्टर, विजय नगर में महत्वाकांक्षी योजना, आवासीय एवं अन्य मिश्रित उपयोग की योजनाओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा, इसके अतिरिक्त गतिशील कार्यों को गति प्रदान करते हुए उन्हें समयसीमा में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त जनप्रतिनिधियों से प्राप्त विकास के प्रस्ताव को प्राथमिकता से गैर योजना मद के अंतर्गत किए जाने का निश्चय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल प्राप्तियां रू. 1020.93 करोड़ एवं कुल व्यय रू. 993.86 करोड़ आंकलित किया गया है।

शेष पेज 2 पर...

विकास कार्यों के लिए 193 करोड़ के टेंडर मंजूर

टाटा कंसलटिंग की निविदा मंजूर

एक अन्य निर्णय में इलेक्ट्रीकल एवं अन्य सर्विसेस हेतु सेवाओं को चयन करने हुए टी.पी.एस. योजनाओं के विकास कार्य के अंतर्गत इलेक्ट्रीकल एवं अन्य सर्विसेस हेतु राशि रू. 1100 करोड़ के प्रस्तावित कार्यों हेतु न्यूनतम निविदादाता कंसलटेन्ट मेसर्स टाटा कंसलटींग इंजीनियर लि. की निविदा स्वीकृत की गई।

एक महत्वपूर्ण निर्णय में टी.पी.एस.-08 में ग्राम कुमेडी से लसुडिया मोरी तक विभिन्न विकास कार्यों की निविदा हेतु राशि रु. 84.85 करोड़ के कार्यों हेतु न्यूनतम निविदादाता की निविदा स्वीकृत की गई। टी.पी.एस.-08 में ग्राम कनाडिया, बिचौली हप्सी एवं टिगरिया राव के विभिन्न विकास कार्यों की निविदा हेतु राशि रु. 59.34 करोड़ के कार्यों हेतु न्यूनतम निविदादाता की निविदा स्वीकृत की गई। लेवल-2 फ्लाय ओव्हर के आसपास सीमेन्ट कांकीट की सर्विस रोड के निर्माण कार्य की निविदा हेतु राशि रु. 13.30 करोड़ के कार्यों हेतु न्यूनतम निविदादाता की निविदा स्वीकृत की गई। उक्त कार्य वर्षाकाल के पूर्व किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना क्र. 166 के अंतर्गत गार्डन की बाउंड्रीवाल निर्माण के कार्य की निविदा हेतु राशि रु. 2.23 करोड़ के कार्यों हेतु न्यूनतम निविदादाता की निविदा स्वीकृत की गई। योजना क्रं. 151 एवं 169-वी सेक्टर ए, बी, सी एवं डी में शेष विकास कार्य की निविदा हेतु राशि रु. 24.54 करोड़ के कार्यों हेतु न्यूनतम निविदादाता की निविदा स्वीकृत की गई। इस प्रकार संचालक मंडल द्वारा कुल राशि लगभग रुपये 193.00 करोड़ की निविदाएं स्वीकृत की गई।

ISBT के संचालन के लिए शर्तें बदली

संचालक मंडल द्वारा आय.एस.बी.टी. के संचालन एवं संधारण कार्य हेतु संशोधन प्रस्तावित किए गए। वर्तमान में इसके संचालन हेतु दो निविदाएं प्राप्त हुई है, जो कंपनियां इस प्रकार के कार्य संचालित करती है। उनके द्वारा इसमें रूचि दिखायी गई है, जिसका तकनीकी परीक्षण प्रचलन में है। तकनीकी परीक्षण उपरांत वित्तीय प्रस्ताव खोले जाएंगे। तद्नुसार इसके संचालन का रास्ता साफ होगा।

एसटी, एससी के फ्लैट अब सामान्य वर्ग के लिए

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में योजना क्रमांक 136 (निरंजनपुर) में निर्मित आवासीय-सह-वाणिज्यिक परिसर हरसिंगार कॉम्पलेक्स में आरक्षित श्रेणी के शेष रहे आवासीय प्रकोष्ठों (2 बीएचके व 3-बीएचके) को अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तन करने, योजना क्रमांक 136 (निरंजनपुर) में सी.एम.आर.-2 एवं 3 पर निर्मित अमलतास कॉम्पलेक्स में आरक्षित श्रेणी के शेष रहे आवासीय प्रकोष्ठों (1 बीएचके) को अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तन करने एवं प्राधिकारी की योजना क्रमांक 155 टिगरिया बादशाह रोड इन्दौर में निर्मित बहुमंजिला भवनों में एल-टाईप (1 बी. एच.के.), एम-टाईप (2 बी.एच.के.) एवं ई-टाईप (2 आर.के.) के आरक्षित श्रेणी के शेष रहे आवासीय प्रकोष्ठों को अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तन एवं व्ययन करने हेतु निर्णय लिया गया, इस प्रकार बड़ी संख्या में आवासीय प्रकोष्ठ पहले आओ पहले पाओ योजना के अंतर्गत व्ययन हेतु उपलब्ध हो सकेगें। उक्त आवासीय प्रकोष्ठों का उपलब्ध होने तक सतत् विक्रय किया जावेगा।

लोहा मंडी के प्लाट के विवाद का करेंगे निपटारा

प्राधिकारी की योजना क्रमांक 78 भाग-प्रथम लोहा मंडी के 32 भूखंडों के आवंटितियों द्वारा लीज शर्तों का उल्लंघन करने के संबंध में मौका रिपोर्ट अनुसार निर्णय लिए जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे काफी समय से लंबित प्रकरणों का निराकरण हो सकेगा। इसके लिए संचालक मंडल के द्वारा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकृत किया गया है। उनके द्वारा इस मामले का निपटारा किया जाएगा।

व्यवस्थापित परिवारों के भवन के पुनर्जीवन की अवधि बढ़ाई

एक महत्वपूर्ण निर्णय में प्राधिकारी की विभिन्न योजनाओं में व्यवस्थापित किए गए परिवारों के प्रकरणों को पुनर्जीवित करने के संबंध में अवधि बढाने बाबद निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय से ऐसे प्रकरण जिनमें कुछ राशि की चूक होने से आवंटन निरस्त हो गया था, उनमें जन-जन को राहत हो सकेगी।

अरण्य में अब पास कर सकेंगे नक्शा

संचालक मंडल द्वारा योजना क्रमांक 78 अरण्य में लीज पर आवंटित कोर हाउस के लीज नवीनीकरण के संबंध में न्याय एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवंटितीयों के कल्याण के हित में इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर एवं नगर पालिक निगम, इंदौर के बीच समन्वित दृष्टिकोण अपनाते हुए लीज नवीनीकरण इस शर्त पर किए जाने का निर्णय लिया गया। वे प्राधिकरण द्वारा उल्लेखित समयसीमा में उक्त का नक्क्षा नगर पालिक निगम, इंदौर से करवाकर प्राधिकारी में प्रस्तुत किया जा सकेगा। प्राधिकरण के उक्त निर्णय से लगभग 2000 से अधिक परिवारों को लीज नवीनीकरण का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

एक और टेंडर मंजूर

एक महत्वपूर्ण निर्णय में योजना क्रं. 151 एवं 169-बी के सेक्टर-बी एवं प्राधिकरण के अन्य योजनाओं में पी.पी.पी. मोड में कंसलटेन्ट एवं ट्रांजेक्शन एडवाईजर के संबंध में प्राप्त निविदाओं में से M/s Ernst and Young LLP, Mumbai का चयन करने का निर्णय लिया गया।

योजना क्रमांक 172 का साइट प्लान कराएंगे मंजूर

संचालक मंडल द्वारा ग्राम नैनोद, कोडियाबर्डी एवं छोटा बांगडदा में इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 172 के अभिन्यास स्वीकृति के प्रस्ताव संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश इन्दौर की ओर अनुमोदन हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

सीनियर सिटीजन बिल्डिंग के संचालन के लिए फिर टेंडर

संचालक मंडल द्वारा योजना क्रं. 134 के भूखंड क्र. आर.सी.-11 में निर्मित सीनियर सिटीजन बिल्डिंग के संचालन एवं संधारण हेतु दूसरी बार निविदा आमंत्रण के पूर्व आवश्यक अतिरिक्त प्रावधानों को स्वीकृति प्रदान की गई।

3 दिन में इंदौर में बिक गया 160 करोड़ का पेट्रोल

राइजिंग इन्दौर
■ विपिन नीमा

पिछले सप्ताह के दौरान जब 24 से 27 मार्च तक सारे शहर में पेट्रोल डीजल का संकट पैदा होने की अफवाह फैल गई तो उसे समय पर 3 दिन में ही इंदौर में 160 करोड रुपए का पेट्रोल डीजल बिक गया। मात्र 72 घंटे की अवधि में इस शहर में लोगों ने 163 लाख लीटर पेट्रोल डीजल खरीद लिया।

जिस समय इंदौर में पेट्रोल और डीजल का संकट पैदा होने की अफवाह चली उस समय पर जिला प्रशासन के द्वारा बार-बार लोगों तक यह संदेश भेजा गया कि कहीं कोई समस्या नहीं है चिंता नहीं करें। प्रशासन के द्वारा पेट्रोल डीजल के पंप पर पर्याप्त व्यवस्था होने का भी दावा किया गया। इसके बाद भी लोगों ने किसी की बात सुनना उचित नहीं समझा। लोग तो भेड़ चाल में चलते हुए पेट्रोल डीजल लेने के लिए पंप पर कई घंटे की लंबी लाइन में लगकर खड़े हो गए। मोबाइल पर एक दूसरे से बात करते हुए पूछने लगे कि कहां पर पेट्रोल पंप पर कम भीड़ है और कहां पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल कम समय में आसानी से मिल जाएगा।

पेट्रोल डीजल संकट पैदा होने की आशंका में शहर के लोग टूट पड़े

शहर के लोगों के बीच में बनी इस स्थिति में इंदौर शहर के हालात को बिगड़ने में योगदान दे दिया। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार इंदौर में प्रतिदिन 10 लाख लीटर पेट्रोल और 15 लाख लीटर डीजल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही 24 मार्च की शाम को सोशल मीडिया पर यह चर्चा चली की ईरान इजरायल और अमेरिका के बीच में चल रहे युद्ध के कारण अब इंदौर सहित देश के दूसरे शहरों में पेट्रोल डीजल का संकट पैदा होने वाला है। इस चर्चा के चलते ही वातावरण बदलना शुरू हो गया। इंदौर सहित पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी कतार लगने लग गई। जिन लोगों की गाड़ी में पेट्रोल था वह भी गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच गए और फुल टैंक करवाने में लग गए।

इन तीन दिन की अवधि के दौरान इंदौर में 25.5 करोड रुपए का 14 लाख लीटर पेट्रोल प्रतिदिन और करीब 29 करोड रुपए का 17 लाख लीटर डीजल प्रतिदिन अतिरिक्त रूप से बिक गया। इन तीन दिन की अवधि में इंदौर में 160 करोड रुपए का पेट्रोल और डीजल बिक गया। इस दौरान लोगों ने 163 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल खरीद लिया।

इस तरह बिक पेट्रोल डीजल

तारीख	पेट्रोल लाख लीटर	रेट कुल कीमत
24 मार्च	24 106.45	25.54 करोड़
25 मार्च	29 106.81	30.97 करोड़
27 मार्च	19 106.41	20.21 करोड़
कुल	72 लाख लीटर	76.5 करोड़

तारीख डीजल लाख लीटर रेट कुल कीमत

24 मार्च	32 91.85	29.40 करोड़
25 मार्च	33 92.18	30.41 करोड़
27 मार्च	26 91.81	23.87 करोड़
कुल	91 लाख लीटर	84 करोड़

इस तरह 3 दिन में इंदौर में 160 करोड का पेट्रोल डीजल बिक गया

IDA के पास 1000 करोड़ की एफडी लेकिन विकास योजनाएं ठप

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

इंदौर विकास प्राधिकरण के पास 1000 करोड़ की एफडी है और सालाना 60 करोड़ से ज्यादा ब्याज आता है। फिर भी सितंबर 2025 से बड़े प्रोजेक्ट ठंडे पड़े हैं। बजट 1500 करोड़ से भी कम रहने के आसार हैं।

इंदौर की सबसे बड़ी विकास एजेंसी आईडीए यानी इंदौर विकास प्राधिकरण है। आर्थिक ताकत के मामले में यह इंदौर नगर निगम से भी आगे है। इसके पास 1000 करोड़ रुपए की एफडी (Fi&ed Deposit) जमा है। इस एफडी से हर साल 60 करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्याज आता है।

लेकिन इतनी ताकत के बावजूद हालात अच्छे नहीं हैं। सितंबर 2025 से आईडीए के काम लगभग ठहर से गए हैं। न पुरानी योजनाओं का अता-पता है, न नई योजनाएं आगे बढ़ रही हैं।

कब से रुका सब?

मोहन सरकार बनने के बाद आईडीए में राजनीतिक नियुक्तियां खत्म हो गईं। इसके बाद से संभागायुक्त को प्रशासक बनाया गया है। अभी संभागायुक्त डॉ. सुदाम पी. खाड़े प्रशासक हैं। सीईओ (Chief Executive Officer) के पद पर डॉ. परीक्षित झाड़े हैं। यही दोनों मिलकर आईडीए को संभाल रहे हैं।

अब सबकी नजरें 31 मार्च को आने वाले आईडीए बजट पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि इस बार बजट 1500 करोड़ रुपए से भी कम का रह सकता है।

कौन से बड़े प्रोजेक्ट अटके हैं?

1150 करोड़ रुपए का स्टार्टअप पार्क अभी सिर्फ फाइलों में बंद है। जिम्मेदार अधिकारी अब तक यह भी तय नहीं कर पाए हैं कि, इसे पीपीपी (Public Private Partnership) मोड पर बनाना है या किसी और तरीके से। 545 करोड़ रुपए के कन्वेंशन सेंटर के लिए पीपीपी आधार पर काम होना है। इसके लिए टेंडर हाल ही में हुए हैं लेकिन आगे की राह अभी साफ नहीं है।

कुमेडी में आईएसबीटी (Inter-State Bus Terminal) बस स्टेशन एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं के साथ बनाया गया था। इसे बने हुए लगभग एक साल होने को आया, लेकिन इसे चलाने वाली एजेंसी अभी तक तय नहीं हो पाई। बिना इस्तेमाल के यह धीरे-धीरे खराब होने लगा है।

स्नेहधाम और फ्लाईओवर

80 करोड़ रुपए का स्नेहधाम बुजुर्गों के लिए बनाया गया था। इसे बिना किसी लिखित करार के एक कंपनी को सौंप दिया गया। उस कंपनी ने बुजुर्गों को हटाने के नोटिस तक दे दिए। शहर में कई फ्लाईओवर और ब्रिज बनाने की योजनाएं हैं। बड़ा गणपति और मरीमाता चौराहे पर फ्लाईओवर के वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बैठक भी हो चुकी है। लेकिन काम अभी बैठक से आगे नहीं बढ़ा।

सिंहस्थ 2028 की तैयारी भी पीछे

उज्जैन सिंहस्थ 2028 के लिए एमआर 12 (Master Road 12) बहुत जरुरी है। लेकिन यह सड़क अभी अधूरी पड़ी है। इसकी बाधाएं कैसे दूर होंगी, यह किसी को नहीं पता। एमआर 10 के ब्रिज को चौड़ा किया जाना है उस पर भी कोई ठोस कदम नहीं उठा है।

पुरानी घोषणाएं भी फाइल में बंद

पिछले बजट में कई बड़ी घोषणाएं हुई थीं। रिवर साइड कॉरिडोर, मोरोद में अनाज मंडी की शिफ्टिंग और स्कीम 97 में सिटी फॉरेस्ट बनाने का ऐलान हुआ था। ये सभी अभी भी फाइलों में ही बंद हैं। कई अहम प्रोजेक्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन (PowerPoint Presentation) से बाहर नहीं निकले हैं। स्कीम 171 पुष्पविहार और 13 अन्य संस्थाओं के चार हजार से ज्यादा प्लॉट धारक भी परेशान हैं। ये लोग स्कीम मुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए बोर्ड मीटिंग तक नहीं हो पाई है।

संपादकीय...

प्राधिकरण से शहर को सौगात चाहिए

इंदौर शहर के विकास की मुख्य कमान इंदौर विकास प्राधिकरण के हाथ में ही है। वैसे तो हमेशा से विकास के मामले में इंदौर नगर निगम लीड लेता रहा है। पिछले कुछ सालों से नगर निगम की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। हालत इतनी खराब हो गए हैं कि अब तो नगर निगम को अपने अधिकारियों कर्मचारियों को वेतन बांटने के लिए भी लोन लेना पड़ता है। ऐसे में नगर निगम के माध्यम से शहर में कोई भी बड़ा विकास कार्य हो सकेगा यह कल्पना करना भी बेमानी है।

■ गौरव गुप्ता

इस स्थिति में सभी के नजर इंदौर विकास प्राधिकरण पर ही टिक जाती है। इस समय ऐसा लगता है कि प्राधिकरण भी शहर की आवश्यकता की पूर्ति कर बेहतर सौगात देने के बजाय नेताओं की इच्छा को पूरा करने के काम में लग गया है। ऐसे में प्राधिकरण शहर को शहर की आवश्यकता के अनुसार सौगात नहीं दे पाएगा बल्कि नेताओं की इच्छा की पूर्ति का माध्यम बन जाएगा। जरूर इस बात की है कि प्राधिकरण शहर की आवश्यकता को देखते हुए बेहतर कार्य करें। शहर की जनता की अपेक्षा प्राधिकरण के साथ मिली हुई है।

गुलकंद के फायदे- गर्मी और पाचन समस्याओं में राहत, शरीर-मन को ठंडक

गुलकंद शरीर को ठंडक पहुंचाता है और गर्मी में थकान व पाचन समस्याओं को कम करता है

आहार विशेषज्ञ डॉक्टर आरती मेहरा ने बताया कि गर्मियों में गर्मी से राहत पाने के लिए लोग प्राकृतिक और पारंपरिक उपायों की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे ही एक उपाय है ताजा गुलाब की पंखुड़ियों से तैयार गुलकंद, जो न केवल स्वाद में लाजवाब है बल्कि शरीर और मन को भी ठंडक पहुंचाता है। गुलकंद को गर्मियों का बेहतरीन साथी माना जाता है। गुलकंद ताजा गुलाब की पंखुड़ियों और चीनी या गुड़ को मिलाकर सूरज की धूप में धीरे-धीरे पकाकर तैयार किया जाता है। इसकी खुशबू और मीठा स्वाद भारतीय घरों में पीढ़ियों से चला आ रहा है।

डॉ. आरती मेहरा
आहार एवं पोषण विशेषज्ञ
7999788456

गुलकंद का सीमित मात्रा में प्रयोग

गुलकंद एक आयुर्वेदिक और स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ है, जिसे रोजाना 1-2 चम्मच सीधे खाया जा सकता है, या सुबह-शाम दूध के साथ सेवन करना सबसे अच्छा माना जाता है। यह शरीर को ठंडक देने, कब्ज, एसिडिटी और मुंह के छालों से राहत पाने के लिए बेहतरीन है।

गुलकंद खाने के बेहतरीन तरीके

गर्म दूध के साथ- रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में 1-2 चम्मच गुलकंद मिलाकर पिएं। यह कब्ज और नींद के लिए बहुत अच्छा है।

सीधे सेवन- आप इसे सीधे भी खा सकते हैं, खासकर खाने के आधे घंटे बाद, जो पाचन में मदद करता है।

गुलकंद वाला दूध/शर्बत- गर्मियों में ठंडे दूध में एक चम्मच गुलकंद मिलाकर रोज मिल्क या शर्बत की तरह पिएं।

ब्रेड या दही के साथ- बच्चों को ब्रेड या टोस्ट पर जैम की तरह लगाकर दे सकते हैं, या दही/लस्सी में मिलाकर खा सकते हैं।

पान के साथ- बेहतर पाचन के लिए भोजन के बाद पान के साथ एक चम्मच गुलकंद का सेवन करें।

सावधानी-
डायबिटीज के मरीजों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए।
गर्भवती महिलाएं 2 से 5 ग्राम तक ले सकती हैं।

गुलकंद खाने के फायदे

शरीर को शीतलता प्रदान करता है

शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और आंतरिक गर्मी को कम करने में मदद करता है, जिससे यह गर्म मौसम के दौरान या जलन और अत्यधिक पसीना आने जैसे गर्मी से संबंधित लक्षणों का अनुभव करने वालों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होता है ।

* **पाचन में सुधार-** यह संरक्षित खाद्य पदार्थ पाचक रसों और एंजाइमों को उत्तेजित करता है, जिससे भोजन का कुशल पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है और सामान्य पाचन संबंधी समस्याओं से बचाव होता है।
* **कब्ज से राहत दिलाता है-** एक सौम्य प्राकृतिक रेचक के रूप में कार्य करते हुए, गुलकंद मल को नरम करता है और निर्भरता पैदा किए बिना नियमित मल त्याग को बढ़ावा देता है।
* **एसिडिटी और सीने की जलन को कम करता है-** इसके शीतलक गुण पेट में मौजूद अतिरिक्त एसिड को बेअसर करने और पाचन तंत्र की परत को आराम पहुंचाने में मदद करते हैं, जिससे एसिड रिफ्लक्स से राहत मिलती है।
* **शरीर को विषमुक्त करता है-** गुलकंद लिवर के कार्य में सहायता करता है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे चयापचय और समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है।
* **त्वचा के स्वास्थ्य को बढ़ाता है-** गुलाब गुलकंद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कणों से लड़कर, सूजन को कम करके और प्राकृतिक चमक को बढ़ावा देकर आपकी त्वचा को लाभ पहुंचाते हैं।
* **ऊर्जा स्तर बढ़ाता है-** प्राकृतिक शर्करा तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है जबकि गुलाब के यौगिक थकान और मानसिक थकावट से लड़ने में मदद करते हैं।
* **प्राकृतिक प्रोबायोटिक** - गुलकंद स्वस्थ आंत बैक्टीरिया का समर्थन करता है, जिससे पाचन स्वास्थ्य में सुधार होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है।

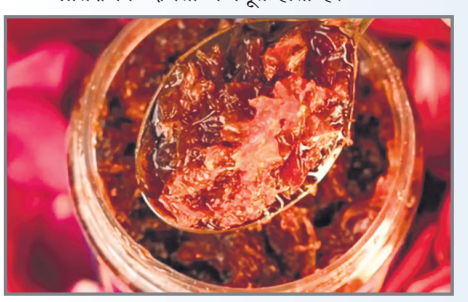

* **आराम और बेहतर नींद को बढ़ावा देता है** - इसके शांत करने वाले गुण तनाव और चिंता को कम करने में मदद करते हैं , जिससे नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है।
* **रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है-** इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और बायोएक्टिव यौगिक संक्रमणों के खिलाफ शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं।

गुलकंद खाने के प्रमुख नुकसान

मधुमेह रोगियों के लिए जोखिम- गुलकंद में भारी मात्रा में चीनी होती है, जो मधुमेह के मरीजों का शुगर लेवल अचानक बढ़ा सकती है।

वजन और चर्बी में वृद्धि- इसमें अधिक कैलोरी होने के कारण, बहुत ज्यादा गुलकंद

खाने से वजन बढ़ सकता है और शरीर में चर्बी जमा हो सकती है।

पेट संबंधी समस्याएं- अत्यधिक सेवन से कुछ लोगों को पेट दर्द, एसिडिटी, गैस या दस्त की समस्या हो सकती है।

दांतों में सड़न- मीठा होने के कारण यह दांतों में चिपक सकता है और अगर मुंह ठीक से साफ़ न किया जाए, तो दांतों में कैविटी या सड़न का कारण बन सकता है।

गर्मी का एहसास- यदि इसे सही तरीके से (गर्मी के दिनों में सीमित मात्रा) न लिया जाए, तो यह पेट में अतिरिक्त गर्मी पैदा कर सकता है।

एलर्जी- कुछ लोगों को गुलाब की पंखुड़ियों से एलर्जी हो सकती है, जिससे त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

सावधानी

सेवन की मात्रा- प्रतिदिन 1-2 चम्मच से ज्यादा गुलकंद न खाएं।

ताजगी- हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाला और पुराना न हुआ गुलकंद ही खाएं।

संपत्ति के मालिकाना विवादों के लिए सीनियर सिटिजन्स एक्ट नहीं : हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि माता-पिता और सीनियर सिटीजन का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 और उसके तहत बनाए गए नियमों का इस्तेमाल उन तीसरे पक्षों के बीच संपत्ति के टाइटल और मालिकाना हक के विवादों को सुलझाने के लिए नहीं किया जा सकता, जिनका सीनियर सिटीजन से कोई संबंध नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि यह एक्ट सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण और सुरक्षा के लिए है, जिसे उनकी संपत्ति के वारिसों को पूरा करना होता है; यह संपत्ति के टाइटल और मालिकाना हक का फैसला करने के लिए नहीं है। संपत्ति के टाइटल और मालिकाना हक का फैसला केवल सिविल कार्यवाही में सबूतों की जांच के बाद ही किया जा सकता है। सीनियर सिटीजन की संपत्ति की सुरक्षा का दायरा अचल संपत्ति के टाइटल से जुड़े विरोधी दावों का फैसला करने तक नहीं फैलता है। यह काम केवल एक सक्षम सिविल/राजस्व कोर्ट ही एक नियमित मुकदमे के जरिए कर सकता है, जहां पक्षकारों को अपने-अपने दावों के समर्थन में सबूत पेश करने का मौका दिया जाता है। भरण-पोषण एक्ट के तहत काम करने वाले अधिकारियों के सामने यह मौका उपलब्ध नहीं होता है। याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी ने एक विवादित जमीन, सीताराम और राजाराम नाम के दो व्यक्तियों से सेल डीड (बिक्रीनामा) के जरिए खरीदी थी। याचिकाकर्ता के हिस्से सहित पूरी जमीन का रिकॉर्ड राधे श्याम, राजाराम, सीताराम आदि के नाम पर दर्ज था। हालांकि, सीताराम और राजाराम के अलावा, किसी अन्य सह-मालिक ने याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई सेल डीड निष्पादित नहीं की थी।

प्रतिवादी नंबर 6 ने जमीन के उस बड़े टुकड़े में से कुछ हिस्सा खरीदा था। यह दावा करते हुए कि प्रतिवादी अवैध रूप से याचिकाकर्ता की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, याचिकाकर्ता ने उक्त विपक्षी पक्ष के खिलाफ कार्रवाई के लिए उप-विभागीय अधिकारी (SDO), बीकापुर, अयोध्या से संपर्क किया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सीनियर सिटिज़न एक्ट के तहत सुरक्षा की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाई कोर्ट ने पाया कि यह एक्ट सीनियर सिटीजन के वारिसों पर उनके भरण-पोषण और सुरक्षा की जिम्मेदारी डालने के उद्देश्य से बनाया गया। कोर्ट ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता और विपक्षी पक्ष के बीच किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं था।

अचल संपत्तियों के मालिकाना हक और कब्जे को लेकर किए गए आपसी दावों का फैसला जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। इनका फैसला केवल इस तरह से किया जा सकता है- दलीलें पेश करना, मुद्दे तय करना, सबूत पेश करना, गवाहों से क्रॉस-एग्जामिनेशन करना और उसके बाद दोनों पक्षों की बातें सुनकर एक विस्तृत फैसला देना, जिसमें दोनों पक्षों के बीच के सभी मुद्दों का हल बताया गया हो। इसलिए भरण-पोषण अधिनियम (Maintenance Act) के तहत आने वाले अधिकारों का काम अचल संपत्तियों के मालिकाना हक और कब्जे से जुड़े आपसी दावों का फैसला करना नहीं है।

अदालत ने आगे यह भी कहा कि अधिनियम की धारा 22, जो राज्य सरकार को सीनियर सिटीजन के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए अधिकारी नियुक्त करने और नियम बनाने का अधिकार देती है, वह भी इन अधिकारियों को दोनों पक्षों के बीच संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़े विवादों का फैसला करने का अधिकार नहीं देती है।

हालांकि धारा 27, सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत आने वाले मामलों से जुड़े किसी भी मुकदमे पर रोक लगाती है। हालांकि, अदालत ने यह साफ किया कि यह रोक उन मामलों पर लागू नहीं होगी, जहां संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर विवाद ऐसे पक्षकारों के बीच हो, जिनका आपस में कोई संबंध न हो।

संजय मेहरा
हाईकोर्ट एडवोकेट
98270 74132

अदालत ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर सुनवाई करने और फैसला देने का अधिकार केवल सक्षम सिविल कोर्ट या रेवेन्यू कोर्ट को ही है।

वरिष्ठ नागरिकों को कई कानूनी अधिकार प्राप्त

भारत में वृद्धजनों की बढ़ती संख्या और उनके समक्ष उत्पन्न हो रही सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 (Senior Citizen Act, 2007) लागू किया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वृद्धजनों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देना तथा उनके भरण-पोषण की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है।

यह अधिनियम विशेष रूप से उन माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया गया है, जिन्हें उनके ही बच्चे या परिवार के सदस्य उपेक्षित कर देते हैं। कानून के अनुसार, यदि कोई संतान अपने माता-पिता या वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण करने में असफल रहती है या उन्हें छोड़ देती है, तो संबंधित वरिष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण (Tribunal) में आवेदन कर सकते हैं। यह न्यायाधिकरण त्वरित न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।

इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें संतान (चाहे पुत्र, पुत्री या दत्तक संतान) पर यह कानूनी दायित्व डाला गया है कि वे अपने माता-पिता की आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास और चिकित्सा सुविधा का ध्यान रखें। यदि संतान ऐसा करने में असफल रहती है, तो न्यायाधिकरण उन्हें मासिक भरण-पोषण भत्ता देने का आदेश दे सकता है, जिसकी एक सीमा निर्धारित की गई है (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित की जा सकती है)।

इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों को अपनी संपत्ति की सुरक्षा का भी अधिकार देता है। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति इस शर्त पर किसी को हस्तांतरित करता है कि वह उसकी देखभाल करेगा, और वह व्यक्ति इस शर्त का पालन नहीं करता, तो वरिष्ठ नागरिक उस हस्तांतरण को निरस्त (cancel) कराने का अधिकार रखते हैं। यह प्रावधान वृद्धजनों को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य सरकार को वृद्धाश्रम स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया है, जहां जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, भोजन और चिकित्सा सुविधा मिल सके। साथ ही, अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान करने की भी व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उपचार मिल सके।

वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समाज में पारिवारिक मूल्यों को बनाए रखने में सहायक है। यह कानून न केवल कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि यह एक नैतिक संदेश भी देता है कि माता-पिता की सेवा और सम्मान करना प्रत्येक संतान का कर्तव्य है।

हालांकि, इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे जागरूकता की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायाधिकरण तक पहुंच की समस्या, और सामाजिक दबाव के कारण वृद्धजनों का शिकायत दर्ज न कराना। इसलिए, आवश्यक है कि सरकार के साथ-साथ समाज भी इस दिशा में जागरूकता बढ़ाए और वृद्धजनों के अधिकारों का सम्मान करे।

निष्कर्षतः, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 वृद्धजनों के अधिकारों की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है, जो उन्हें सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग प्रदान करता है। यह अधिनियम न केवल कानूनी व्यवस्था है, बल्कि यह समाज में मानवता और पारिवारिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का एक प्रयास भी है।

सांवेर विधानसभा क्षेत्र में प्राधिकरण कर रहा है 700 करोड़ के काम

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने रेसीडेंसी कोठी पर सांवेर विधानसभा अंतर्गत करीब 700 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। यह सभी काम इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा करवाए जा रहे हैं।

मंत्री सिलावट ने प्रशासन के अधिकारियों के साथ की इन कामों की समीक्षा

बैठक में इंदौर सम्भागायुक्त व आईडीए अध्यक्ष डॉ. सुदाम खाड़े सहित कलेक्टर शिवम वर्मा, नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल और आईडीए सीईओ परीक्षित झाड़े मौजूद रहे। सिलावट ने सांवेर विधानसभा में प्रचलित 15 विकास कार्यों की रिपोर्ट देखी। ये विकास कार्य इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन है। सभी कार्यों पर बारी-बारी से निर्माण स्थिति की जानकारी ली। साथ ही कुछ प्रस्तावित कार्यों के संबंध में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिए हैं। कैलोद हाला में प्रस्तावित रेलवे ओव्हर ब्रिज के टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के लिए पीएस पीडब्ल्यूडी से चर्चा करने के निर्देश दिए हैं। कान्ह नदी पर 26 करोड़ रूपये की लागत से प्रचलित हाई लेवल रिवर ब्रिज के गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, इसके लिए मंत्री सिलावट ने निरीक्षण करने की मंशा जाहिर की है। इसके अलावा एबी रोड से बायपास तक एमआर-11 पर 73.49 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाली सड़क निर्माण के लिए वहां निवासरत नागरिकों को उनकी सहमति से अमलतास पर या रेंट पर निवास उपलब्ध कराकर कार्य किया जाएगा। इसी तरह आईडीए के प्लान टीपीएस-03 में मास्टर प्लान की सड़कों में लसूड़ियामोरी व मायाखेड़ी क्षेत्र में कुल 6 सड़क जो 286 करोड़ रूपये की लागत से प्रारम्भ की गई है। बैठक में 80 प्रतिशत से अधिक निर्मित कार्यों को अप्रैल माह में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इसमें 13 करोड़ रूपये की लागत से लवकुश फ्लायओव्हर पर सर्विस रोड़ की दुरुस्तीकरण के कार्य व 9 करोड़ रूपये की लागत से तुलसी नगर सड़क निर्माण के कार्य शामिल हैं।

मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर लिखेंगे आध्यात्मिक पर्यटन की नई इबारत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारें विरासत के साथ विकास के मंत्र को आत्मसात करते हुए सुशासन और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में साझा संस्कृति विकसित कर रही हैं। यह न केवल दोनों राज्यों के संबंधों को प्रगाढ़ करेगा, बल्कि जन-कल्याण के नए मार्ग भी प्रशस्त करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह बात वाराणसी में विश्व प्रसिद्ध श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के भ्रमण के दौरान कही।

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

क्रॉउड मैनेजमेंट, दर्शन व्यवस्था और मोबाइल ऐप आधारित टोकन सिस्टम का किया अवलोकन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने वाराणसी भ्रमण की शुरूआत देवादिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन और पूजन के साथ किया। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में विधि-विधान से पूजन कर मध्यप्रदेश की जनता की खुशहाली और निरंतर प्रगति की मंगलकामना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पावन गंगा घाट पहुंचकर पतित पावनी मां गंगा के दर्शन किए। उन्होंने श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मां गंगा का पूजन किया और गंगाजल से आचमन किया। दर्शन और पूजन के बाद उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ के धाम में आकर जो आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है, वह अद्भुत है।

काशी-महाकाल के बीच व्यवस्थाओं का साझा संगम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार को वाराणसी भ्रमण के दौरान विश्व प्रसिद्ध श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ और बाबा महाकाल के धामों के बीच व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण एमओयू (MOU) किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य दर्शनार्थियों को सुगम और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंदिर परिसर में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया।

सिंहस्थ-2028 के लिए प्रबंधन का रोडमैप

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वाराणसी के अनुभवों को मध्यप्रदेश के उज्जैन में होने वाले आगामी सिंहस्थ-2028 के लिए अत्यंत प्रासंगिक बताया। उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के न्यासियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रेजेंटेशन से कॉरिडोर में तीर्थयात्री प्रबंधन, क्राउड कंट्रोल (भीड़ प्रबंधन), दर्शन व्यवस्था और मोबाइल ऐप आधारित टोकन सिस्टम का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज कुंभ और काशी कॉरिडोर के प्रबंधन से सीख लेकर हम उज्जैन में श्रद्धालुओं के लिए दूरगामी योजनाएं तैयार कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को दर्शन की उच्चतम और सुगम व्यवस्था देना हमारा लक्ष्य है। प्रेजेंटेशन से तीर्थ स्थल प्रबंधन की एसओपी (SOP) को समझा। इसमें रियल टाइम सीसीटीवी मॉनिटरिंग, जोन-बेस्ड क्राउड कंट्रोल, सुरक्षा प्रोटोकॉल और स्वच्छता प्रबंधन के आधुनिक तौर-तरीकों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को इस अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा ग्लोबल सनातन पुस्तक भी भेंट की गई।

वाराणसी में महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन और न्यायप्रियता को जन-जन तक पहुंचाने के लिए आगामी 3 से 5 अप्रैल तक वाराणसी में महानाट्य का मंचन किया जा रहा है। सम्राट विक्रमादित्य शोध संस्थान के माध्यम से आयोजित होने वाले इस महानाट्य में सैकड़ों कलाकार हिस्सा लेंगे, जिसमें हाथी, घोड़े और ऊंटों के साथ प्राचीन विधाओं का जीवंत प्रदर्शन होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच बढ़ते आर्थिक और बुनियादी ढांचे के सहयोग का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना से दोनों राज्यों के किसानों का भाग्य बदल रहा है। दोनों राज्यों के किसानों को सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध होगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भ्रमण और बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान के साथ अपर मुख्य सचिव राघवेंद्र सिंह, सचिव पर्यटन डॉ. इलैया राजा टी, उज्जैन संभागायुक्त आशीष सिंह, वाराणसी कलेक्टर सत्येंद्र सिंह और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्व भूषण मिश्र सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इस सप्ताह आपके सितारे
01 अप्रैल 2026 से 7 अप्रैल 2026

किसी को संतान पक्ष से होगी पीड़ा तो किसी के व्यय ज्यादा होंगे

मेष- इस सप्ताह कारोबार में उछाल दिखेगा। आय भी बढ़ेगी। किसी व्यक्ति के सहयोग से कोई कार्य होने की संभावना भी है। शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जीवनसाथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। व्यय ज्यादा होंगें। संतान पक्ष पीड़ित करेगा। वाहन सुख उत्तम। माता का स्वास्थ्य ठीक-ठीक रहेगा।

वृषभ- इस सप्ताह प्रेम संबंधों में सावधानी रखें अन्यथा परेशानी होगी। जीवनसाथी का शारीरिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार ठीक-ठीक रहेगा। वाहन सावधानी से चलावें। बेवजह के विवादों से बचें। भूमि संबंधी कोई सौदे न करें। कारोबार ठीक रहेगा। आवक अच्छी होगी।

मिथुन- इस सप्ताह शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहेगी। शत्रु भी परेशान कर सकते हैं। मित्र भी वांछित सहयोग नहीं देंगें। संतान संबंधी चिंता का निवारण होगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता रहेगी। जीवनसाथी का सहयोग अच्छा रहेगा। बेवजह के विवादों में न पड़ें।

कर्क- जीवनसाथी का सहयोग एवं व्यवहार इस सप्ताह मध्यम रहेगा। संतान पक्ष सहयोग करेगा। आवक मे वृद्धि होगी। कारोबार वृद्धि की तरफ बढ़ेगा। मित्रों से मिलना-जुलना बढ़ेगा। शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। वाहन सावधानी पूर्वक चलावें। विवादों में न पड़े अन्यथा कष्ट होगा। परिजनों का उत्तम सहयोग मिलेगा।

सिंह- इस सप्ताह संतान पक्ष आपको पीड़ित कर सकता है। अनायास कोई नुकसान भी हो सकता है अतः सावधान रहें। जीवनसाथी का सहयोग एवं स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध ठीक रहेंगें। कारोबार में हल्का सा उतार-चढ़ाव दिखाई देगा। यात्रा को टालें। भूमि-भवन के विवाद में न पड़ें।

कन्या- शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन हानि अथवा अधिक व्यय के योग है। पारिवारिक परिवेश अमूमन अच्छा रहेगा। कोई रुका कार्य होगा। जीवनसाथी का स्वास्थ्य एवं सहयोग मध्यम रहेगा। कारोबार भी मध्यम रहेगा।

तुला- जीवनसाथी का स्वास्थ्य एवं व्यवहार ठीक-ठीक रहेगा। किसी व्यक्ति के व्यवहार से मन दुखी होगा। अस्थियों में कष्ट संभव है। वाहन कष्ट दे सकता है। परिजनों का वांछित सहयोग मिलेगा। आय संतोषजनक रहेगी। बेवजह के व्यय भी हो सकते हैं। प्रेम सबंधों के प्रति सावधान रहें।

वृश्चिक- मन में कुछ खिन्नता रहेगी। मानसिक तनाव भी रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग एवं व्यवहार अच्छा रहेगा। पिता को या पिता से कष्ट संभव है। माता का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय है। किसी रोग का अल्प कष्ट होगा। विशेष रुप से श्वसन अथवा उद्विकारों के लिए लापरवाह न रहें। शत्रु पीड़ा होगी।

धनु- इस सप्ताह आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। बेवजह के विवादों से बचें। भूमि संबंधी कार्य कष्ट दे सकते हैं। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। जीवनसाथी का स्वास्थ्य एवं सहयोग अच्छा रहेगा। कोई प्रतिक्षित कार्य होगा। कारोबार की दृष्टि से सप्ताह धनात्मक है।

मकर- इस सप्ताह माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी पर आंख मींच कर भरोसा न करें। संतान पक्ष कुछ परेशान कर सकता है, किन्तु जीवनसाथी का स्वास्थ्य एवं सहयोग अच्छा रहेगा। कारोबार अच्छा चलेगा। आवक अच्छी होगी। कोई रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा।

कुंभ- यात्रा के योग बन सकते हैं किन्तु उसे टालें। नौकरी अथवा प्यार में कुछ ऋणात्मकता दिखाई देगी। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतान पक्ष की तरफसे पर्याप्त सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध फले-फूलेंगे। आवक मध्यम।

मीन- कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह श्रेष्ठ है। किसी रुके हुए कार्य के होने से खुशी होगी। जीवनसाथी का व्यवहार अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में सुधार होगा। संतान पक्ष आंशिक रूप से पीड़ित कर सकता है। बेवजह के विवादों में न पड़ें। वाहन सुख उत्तम। कारोबार मध्यम रहेगा। लाभ सीमित होंगें। वाहन सावधानी से चलावें।

श्रीमान उमेश पांडे
ज्योतिष एवं वास्तुविद
महात्मा गांधी मार्ग, मल्हारगंज, इंदौर (म.प्र.)
मो. 8602912030

इस सप्ताह की ग्रह स्थितियां

■ सूर्य - मीन ■ चंद्र - कुंभ से वृषभ ■ मंगल - कुंभ ■ बुध - कुंभ वक्री ■ गुरु - मिथुन ■ शुक्र - मीन में ■ शनि - मीन ■ राहु - कुंभ ■ केतु - सिंह

इंदौर में दूध के भाव बढ़े...

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

आम जनता की जेब पर दूध की महंगाई का बोझ बढ़ने वाला है। पशु आहार में वृद्धि के कारण दूध विक्रेता संघ ने कीमतों में तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। अब शहर में दूध 60 के बजाय 63 रुपये प्रति लीटर मिलेगा।

इंदौर में लोगों को दूध तीन रुपये महंगा मिलेगा। अब तक शहर में दूध 60 रुपये प्रति लीटर था, लेकिन अब 63 रुपये प्रति लीटर में मिलेगा। इसमें एक रुपये घर पहुंच सेवा शुल्क भी शामिल है। उधर सांची ने दूध के दाम नहीं बढ़ाए है। सांची का दूध पुरानी कीमत पर ही मिलेगा। दाम बढ़ाने का फैसला दूध विक्रेता संघ की कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। संघ के अध्यक्ष भारत मथुरावाला ने बताया कि पशु आहार की बढ़ती कीमतों तथा दुग्ध पशुओं की लागत में वृद्धि के कारण दूध के दाम बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही शहर में दूध की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए फैट के आधार पर दूध क्रय-विक्रय की व्यवस्था को जारी रखने पर सहमति बनी।

अब तक दूध विक्रेता संघ द्वारा उत्पादकों से 8.60 पैसे प्रति फैट के हिसाब से दूध खरीदा जा रहा था, जिसे बढ़ाकर 8.95 पैसे प्रति फैट कर दिया गया है। इसके साथ ही बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए घर पहुंच सेवा में 1 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है।

अभी तक बंदी भाव 60 रुपये प्रति लीटर था, जो अब बढ़ाकर 63 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जिसमें घर पहुंच सेवा शुल्क भी शामिल है। वहीं दुकानों और डेयरियों पर दूध 65 रुपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें लेबर और पैकिंग मटेरियल का खर्च शामिल रहेगा।

मथुरावाला ने बताया कि दरें 5.5 से 6 फैट प्रति लीटर के आधार पर तय की गई हैं। यदि भविष्य में परिस्थितियां दूध उत्पादन के प्रतिकूल रहती हैं या पशु आहार के दाम और बढ़ते हैं, तो कीमतों में इजाफा किया जा सकता है।

31 मार्च को सरकारी खजाने में हुई धन वर्षा

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन सरकारी खजानों में देर रात तक जमकर धन वर्षा हुई। एक अप्रैल से लागू होने वाली नई प्रॉपर्टी गाइडलाइन और प्रॉपर्टी टैक्स के सरचार्ज से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने टैक्स जमा कराया।

मंगलवार को वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन था और सरकारी विभागों के खजानों में देर रात तक धन वर्षा होती रही। सबसे ज्यादा असर शहर के पंजीयन कार्यालयों में देखा गया। 1 अप्रैल से शहर में नई प्रॉपर्टी गाइडलाइन लागू होगी। नई गाइडलाइन के हिसाब से स्टांप ड्यूटी भी बढ़ जाएगी। इससे बचने के लिए लोगों ने 31 मार्च को अपनी संपत्तियों की रजिस्ट्री कराई। पंजीयन विभाग ने इसके लिए मुख्य कार्यालय व क्षेत्रीय पंजीयन कार्यालयों पर व्यवस्था कर रखी थी। साल के अंतिम दिन स्टांप ड्यूटी की बिक्री से करोड़ों रुपये का राजस्व जमा हुआ। प्रदेश में सबसे ज्यादा रजिस्ट्री इंदौर में हुई। इसके अलावा नगर निगम के मुख्यालय के कैश काउंटरों व जोनल कार्यालयों पर भी लोग साल के अंतिम दिन संपत्तिकर जमा करते हुए नजर आए। 1 अप्रैल से कई क्षेत्रों में नए रेट जोन के हिसाब से संपत्तिकर की गणना होगी। निगम ने बकाया संपत्तिकर धारकों के लिए छूट भी दे रखी है। इसका कई लोगों ने फायदा उठाया। निगम मुख्यालय के अलावा जोनल कार्यालयों पर जाकर भी लोगों ने टैक्स जमा कराया। इसके अलावा इंदौर विकास प्राधिकरण, आयकर विभाग में भी साल के अंतिम दिन लोगों ने टैक्स व बकाया राशि जमा कराई है।

1 अप्रैल से ढाई हजार से ज्यादा इलाकों में बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के दाम

इंदौर में 1 अप्रैल से ढाई हजार से ज्यादा लोकेशनों पर कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से सौदे होंगे। जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में इस वृद्धि को मंजूरी दी गई। शहर की 270 नई कॉलोनियों को कलेक्टर गाइडलाइन में शामिल किया गया है। पहले कृषि भूमि के हिसाब से गांवों में सौदे होते थे, लेकिन अब वहां नई टाउनशिप विकसित हो चुकी है। अब वहां नई दरों के हिसाब से सौदे होंगे। इनमें सुपर कॉरिडोर, हातोद, इंदौर-उज्जैन रोड, खंडवा रोड के इलाके शामिल हैं।

युवा विधायकों ने लिए 5 संकल्प

मध्यप्रदेश विधानसभा में आयोजित युवा विधायक सम्मेलन में विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने के लिए पांच संकल्प लिए गए। इस अवसर पर लोकतंत्र, नवाचार और जनसरोकारों के प्रति युवा विधायकों की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया।

विधानसभा में आयोजित दो दिवसीय युवा विधायक सम्मेलन (राष्ट्रकुल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन-6) के समापन सत्र में युवा विधायकों ने विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने के लिए पांच संकल्प लिए। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने संकल्प दिलाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत का सपना केवल सरकार का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का साझा संकल्प है। इसे पूरा करने में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है।

युवा विधायकों के पांच संकल्प

- लोकतंत्र की मजबूती के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
- समाज में नवाचार और परिवर्तन की सोच लाकर जनसरोकारों को विधानसभा तक पहुंचाना।
- नागरिकों को जागरूक और सशक्त बनाकर शासन को पारदर्शी और प्रभावी बनाना।
- राजनीतिक दबाव, संसाधनों की कमी और सामाजिक असमानताओं के बावजूद ईमानदारी और दूरदर्शिता से काम करना।
- स्वयं जागरूक नागरिक बनकर अनुसंधान और बहस में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

सम्मेलन में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लगभग 40 युवा विधायकों ने भाग लिया। उप सभापति राज्यसभा हरिवंश सिंह ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था है और आने वाली सदी भारत की होगी। उन्होंने सकारात्मक सोच और दूरदर्शिता के साथ कार्य करने पर जोर दिया। तोमर ने कहा कि युवा विधायकों को समाज की सोच बदलने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने की जिम्मेदारी है। उन्होंने टेक्नोलॉजी, स्वच्छता, सोलर एनर्जी, शिक्षा, अधोसंरचना और जनकल्याण के महत्व पर भी जोर दिया। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन के डॉ. राहुल कराड़ ने कहा कि हर विधानसभा में ऐसे सम्मेलन होने चाहिए। विधायक अपने क्षेत्र के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं और शिक्षा, प्रशिक्षण और एआई के सही उपयोग से समाज में बदलाव ला सकते हैं। सम्मेलन में विधानसभा की सात दशक पर केंद्रित विधायिनी पत्रिका का विमोचन भी हुआ।

पहली बार देखा- विदाई देने आए अधिकांश स्टाफ की आंखें थीं नम

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

विरले ही चिकित्सकों को मिलता है यह सम्मान

शासकीय क्षेत्र में बहुत कम लोगों को इस तरह का सम्मान मिलता है जैसा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, नर्सों, डॉक्टरों, मीडिया कर्मियों, कर्मचारी नेताओं ने डॉक्टर आशुतोष शर्मा को दिया। डॉ. आशुतोष शर्मा अपनी 65 वर्ष की आयु पूरी कर 38 वर्ष की सेवा से आज सेवानिवृत हो गए। हुकुमचंद पॉली क्लिनिक जिसे लाल अस्पताल के रूप में पहचाना जाता है इसमें उन्होंने 24 वर्ष तक विभिन्न पदों पर सेवा दी। मरीज और स्टाफ से उनका ऐसा लगाव हो गया था कि आज विदाई समारोह में शामिल अधिकांश लोगों की आंखें नाम थीं। कई पेशेंट फूट फूट कर रोए। डॉ. बनकर पैसा जरूर कमाया जा सकता है लेकिन यह स्नेह प्यार सिर्फ तभी मिलता है जब डॉ. का

समर्पण और सेवा का भाव हो। आज लाल अस्पताल में डॉ. आशुतोष शर्मा इस बात से बेफिक्र थे कि आज उनकी सेवा का आखिरी दिन है वे सुबह से ही मरीजों का चेकअप कर रहे थे। स्टाफ ने आज उनके कक्ष से कार्यक्रम स्थल तक गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई थीं हालांकि वे इस पर चले नहीं। विदाई समारोह में सीएमएचओ डॉ. माधव हसानी, सिविल सर्जन डॉ. सोढ़ी, इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक कर्दम, डॉ. प्रवीण जड़िया, कर्मचारी नेता हरीश बोयत, रमेश यादव राग इन्दौरीयन्स संस्था के अध्यक्ष हनी पांडे विशेष रूप से उपस्थित थे। इन सभी ने डॉ. आशुतोष शर्मा के चिकित्सा क्षेत्र में दिए विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया और विदाई दी। इस मौके पर डॉक्टर आशुतोष शर्मा की बहन और उनकी पुत्री भी मौजूद थीं।

घोषणा निगम की, पूरी करेगा प्राधिकरण

चंदन नगर पर फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण पर खर्च करेंगे 60 करोड़

इंदौर नगर निगम के द्वारा की गई घोषणा को पूरा करने का काम इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। निगम की इस घोषणा को पूरा करने में प्राधिकरण को अपनी जेब से 60 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेंगे। इसके तहत धार रोड पर चंदन नगर क्षेत्र में फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा।

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

वित्तीय वर्ष 2025 26 के लिए जब इंदौर नगर निगम का बजट महापौर पुष्यमित्र भार्गव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था तो उसे बजट में उन्होंने घोषणा की थी कि धार रोड पर इंदौर नगर निगम के द्वारा चंदन नगर के पास से लेकर जिला अस्पताल के आगे तक के क्षेत्र में एक फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। उनकी ओर से कहा गया था कि कई सालों के बाद नगर निगम के द्वारा यह पहला फ्लाईओवर ब्रिज बनाया जाएगा। इस ब्रिज के निर्माण के लिए नगर निगम के द्वारा प्राधिकरण से तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जाएगा। इस घोषणा के बाद से उसके पूरा होने की दिशा में काम काज शुरू होने का इंतजार किया जा रहा था। नगर निगम की ओर से तो इस दिशा में कोई पहल अभी तक नहीं हुई है। अलबत्ता इंदौर विकास प्राधिकरण का जो नया बजट आया है उसमें नगर निगम की इस घोषणा को पूरा करने की पहल कर दी गई है। प्राधिकरण के बजट में कहा गया है कि प्राधिकरण के द्वारा शहर में 11 चौराहे पर ट्रैफिक को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक सुधार करने के बारे में सर्व एवं फिजिबिलिटी का कार्य किया गया था।

इसके अंतर्गत धार रोड स्थित चंदन नगर चौराहे पर फ्लाईओवर ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्राधिकरण के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि गैर योजना मद के अंतर्गत इस काम को किया जाएगा। इस ब्रिज के निर्माण की लागत 60 करोड़ रुपए होगी।

महापौर बोले पश्चिम क्षेत्र को मिलेगी सौगात

इंदौर शहर के पश्चिमी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित परियोजना को मंजूरी मिल गई है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव की मांग पर चंदन नगर क्षेत्र में नए ब्रिज (पुल) का निर्माण किया जाएगा। इस प्रस्ताव को हाल ही में आईडीए (इंदौर विकास प्राधिकरण) की बोर्ड बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है। महापौर ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तथा कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी और लंबे समय से चली आ रही यातायात संबंधी समस्याओं का समाधान करेगी। गौरतलब है कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव पिछले एक वर्ष से इस परियोजना को लेकर लगातार प्रयासरत थे। उनके सतत प्रयासों और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि अब चंदन नगर क्षेत्र को यह ऐतिहासिक सौगात मिलने जा रही है। इस ब्रिज के निर्माण से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि पश्चिमी इंदौर के विकास को भी नई गति मिलेगी। साथ ही, आसपास के क्षेत्रों में यातायात का दबाव कम होगा और नागरिकों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा।

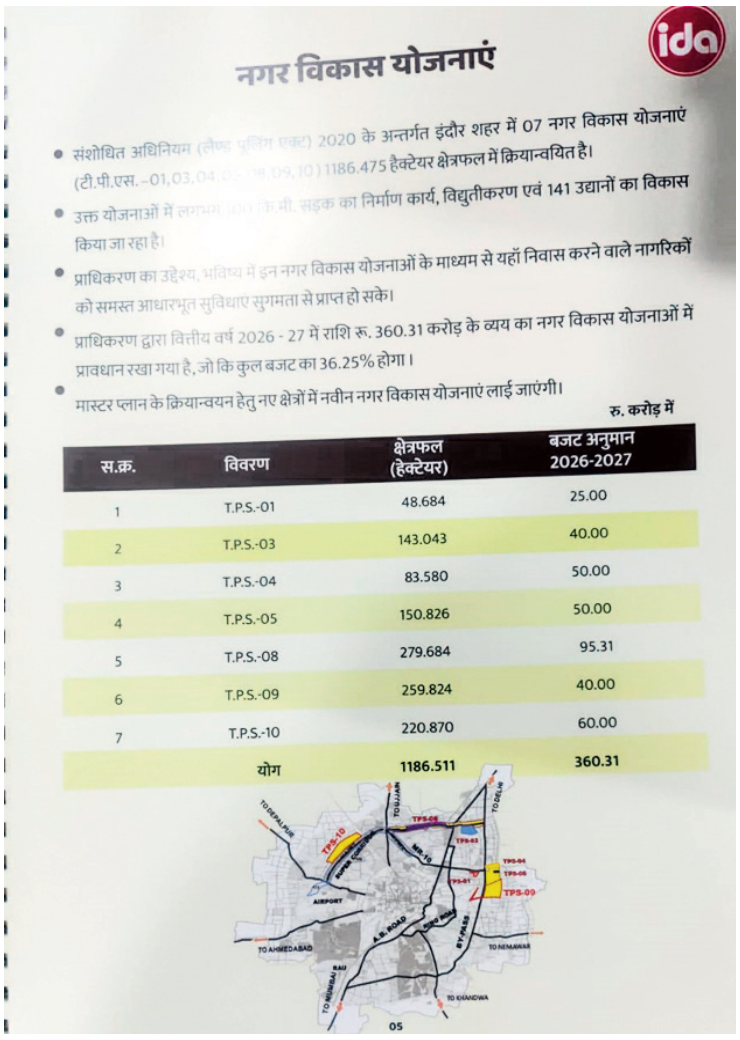

सड़क निर्माण पर खर्च होंगे 331 करोड़

इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा इस वित्त वर्ष में सड़क निर्माण के कार्य पर 331 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। प्राधिकरण के द्वारा मास्टर प्लान में प्रावधान की गई सड़क एमआर11, एमआर 12, तुलसी नगर से वसुंधरा परिसर तक सीमेंट कंक्रीट की सड़क और एमआर 9 को एमआर 10 से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इन सड़कों का निर्माण होने से नागरिकों को आने-जाने में सुविधा मिलेगी। इन सड़कों के निर्माण कार्य के लिए बजट में 331 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। यह प्रावधान कुल बजट का 33 प्रतिशत है। सिहंस्थ 2028 की दृष्टि से 3.5 किलोमीटर लंबी एमआर11 और 9 किलोमीटर लंबी एमआर 12 की सड़क का निर्माण प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही प्राधिकरण के द्वारा एमआर 12 पर रिवर ब्रिज और रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण भी किया जा रहा है।

56 करोड़ के भवन बनाएंगे- प्राधिकरण के द्वारा नए वित्त वर्ष में 56 करोड़ रुपए की राशि भवन के निर्माण कार्य पर खर्च की जाएगी। अभी प्राधिकरण के द्वारा योजना क्रमांक 136 में 81 करोड़ रुपए की लागत से कमर्शियल काम्पलेक्स का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य को पूरा करने के लिए बजट में 18 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही गरीब नागरिकों के अपने घर के सपने को साकार करने के लिए प्राधिकरण के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत आवास का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए बजट में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण के द्वारा योजना क्रमांक 166 में व्यापारिक कार्यालय हेतु बहुमंजिला भवन के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

अब प्राधिकरण की संपत्ति के आवंटन के लिए होंगे निरंतर टेंडर

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा एक बड़ा फैसला लेते हुए प्राधिकरण की संपत्ति के आवंटन के लिए निरंतर टेंडर की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। इस तरह की प्रक्रिया पहली बार शुरू की जा रही है।

प्राधिकरण के संचालक मंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्राधिकरण के अध्यक्ष सुदाम खाड़े ने बताया कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में ऐसी बहुत सारी संपत्तियां हैं जो कि अभी तक किसी को आवंटित नहीं की गई है। ऐसी संपत्ति के लिए अलग-अलग समय पर प्राधिकरण के द्वारा टेंडर जारी किए जाते हैं। इस टेंडर के माध्यम से थोड़ी-थोड़ी करके संपत्ति का आवंटन किया जाता है। अब इस प्रक्रिया को बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब प्राधिकरण के द्वारा नई प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके अंतर्गत प्राधिकरण अपनी सभी संपत्तियों को जो कि आवंटन के लिए उपलब्ध है जारी कर देगा।

ऐसी संपत्ति को निरंतर आवंटन की प्रक्रिया के अंतर्गत लोगों को आवंटित किया जा सकेगा। इस व्यवस्था को पहली बार प्राधिकरण के द्वारा लागू किया जा रहा है। इस व्यवस्था की विस्तार से रूपरेखा तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. परीक्षित झाडे को दी गई है।

अनिल जोशी, चुघ की वापसी

प्राधिकरण की सेवा से सेवानिवृत हो चुके इंजीनियर अनिल जोशी और अनिल चुघ की एक बार फिर प्राधिकरण में वापसी होने जा रही है। इन दोनों अधिकारियों को उनके कार्य के प्रति गंभीर रहने और सजकता के साथ काम करने के कारण अब प्राधिकरण में तकनीकी सलाहकार के रूप में लिया जा रहा है। प्राधिकरण के संचालक मंडल की बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया।

भल्ला बने कार्यपालन यंत्री

प्राधिकरण के द्वारा अधिकारियों की कमी की स्थिति को देखते हुए कपिल देव भल्ला सहित तीन इंजीनियरों को प्रभारी कार्य पालन यंत्री के रूप में पदोन्नत किया गया है। इन तीनों इंजीनियरों को कार्यपालन यंत्री के अधिकार देते हुए काम करने के लिए अधिकृत करने के फैसले को भी संचालक मंडल की बैठक में मंजूरी दी गई।

पेट्रोल पंप पर भी मिलेगी शराब!

चंडीगढ़ में अब शराब खरीदना और भी आसान हो जाएगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने नई एक्साइज पॉलिसी 2026-27 को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति में बड़ा बदलाव ये है कि अब शराब सिर्फ पुरानी ठेकों पर ही नहीं, बल्कि पेट्रोल पंपों, शॉपिंग मॉल्स और लोकल मार्केट्स में भी बिक सकेगी। इसके अलावा बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी विदेशी शराब, वाइन और बीयर बेच सकेंगे। इसके साथ ही सरकार ने कुछ जरूरी नियम भी बनाए हैं।

अब हर शराब की दुकान पर डिजिटल पेमेंट (कार्ड और POS मशीन) अनिवार्य कर दिया गया है। बार, होटल और रेस्टोरेंट में अल्कोहल मीटर (शराब जांचने वाली मशीन) लगाना भी जरूरी होगा, ताकि लोग जिम्मेदारी से शराब पी सकें। कुल मिलाकर नई नीति में सुविधा बढ़ाने के साथ-साथ पारदर्शिता और बेहतर नियंत्रण पर भी जोर दिया गया है। चंडीगढ़ में कुल 97 शराब की दुकानें मंजूर की गई हैं। भारतीय शराब, बीयर और वाइन पर अधिकतम 2 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। शराब ले जाने वाली गाड़ियों में GPS ट्रैकिंग लगाना अनिवार्य होगा। बोतलिंग प्लांट अब हफ्ते में 6 दिन काम कर सकेंगे। CCTV और लाइव मॉनिटरिंग के जरिए निगरानी सख्त की जाएगी। सरकार का कहना है कि नई पॉलिसी से लोगों को शराब आसानी से मिल सकेगी और साथ ही अवैध कामों पर भी लगाम लगेगी। प्रशासन का उद्देश्य इससे न केवल शराब की खरीद को आसान बनाना है, बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित करना है। संगठित खुदरा स्थानों पर बिक्री की अनुमति से उपभोक्ताओं को एक सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण मिलेगा, जहां वे आसानी से शराब खरीद सकेंगे।

प्रकाशक एवं मुद्रक गौरव गुप्ता द्वारा स्वामी अशर्फीलाल विमलादेवी मीडिया सर्विसेस प्रा.लि. के लिए डी. बी. कॉर्प लि., 44-45/ए, 50-51/ए, सेक्टर एफ, इंडस्ट्रियल एरिया, सांवेर रोड इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 401-402, डी.एम. टॉवर जंजीरवाला चौराहा, इंदौर 452001 से प्रकाशित। संपादक- गौरव गुप्ता, कार्यकारी संपादक-जितेंद्र जाखेटिया*। फोन नंबर-0731-4032200, आर.एन.आई. नं. MPHIN/2013/52898* समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार।